Section 15 : Constitution of Authority for Advance Ruling

(1) The Central Government shall, by notification, constitute an Authority to be known as the (name of the Union territory), Authority for Advance Ruling:

Provided that the Central Government may, on the recommendations of the Council, notify any Authority located in any State or any other Union territory to act as the Authority for the purposes of this Act.

(2) The Authority shall consist of-

(i) one member from amongst the officers of central tax; and

(ii) one member from amongst the officers of Union territory tax,

to be appointed by the Central Government.

(3) The qualifications, the method of appointment of the members and the terms and conditions of their service shall be such as may be prescribed.

धारा 15 : अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण का गठन

(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा एक प्राधिकरण का गठन करेगी जिसका नाम (संघ राज्यक्षेत्र का नाम), अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण होगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी राज्य या किसी अन्य संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी प्राधिकरण को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित कर सकेगी।

(2) प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले–

(i) केन्द्रीय कर अधिकारियों में से एक सदस्य; और

(ii) संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारियों में से एक सदस्य,

से मिलकर बनेगा।

(3) सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति की पद्धति और उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।